सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 173 राँची, गुरुवार, 22 माघ, 1937 (श०) / 11 फरवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

5 फरवरी, 2016

संख्या-03/न॰वि॰/विविध JUSIP(World Bank)-04/2014-693--आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O&M No.-04/02/2012-FBII GoI द्वारा स्क्रीनिंग कमिटि की 56वीं बैठक दिनांक 21 नवम्बर, 2015 द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए Jharkhand Sustainable Urban Development Project (JSUDP) नामक योजना की स्वीकृति US $ 300 Million अर्थात् रू॰ 1980.00 करोड़ (1US $ = 66/- रू॰) की लागत पर दी गई है ।

2. JSUDP के अधीन स्वीकृत उक्त राशि से केन्द्र प्रायोजित AMRUT, SBM, Smart City आदि योजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा ताकि जलापूर्ति, परिवहन, सिवरेज-डेनेज, स्ट्रीट लाईट, आदि प्रक्षेत्रों में योजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास एवं शहरी प्रबंधन एवं प्रशासन में अपेक्षित सुधार लाया जा सके ।

3. JSUDP के सम्यक् संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (State Urban Development Agency [SUDA]) को नोडल पदाधिकारी घोषित किया गया है ।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा चयनित योजनाओं के संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु जुडको लिमिटेड को परियोजनाओं की कार्यकारी संस्था (Project Implementing Agency [PIA]) नामित किया जाता है ।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक से प्राप्त पत्र के आलोक में निम्नांकित कर्मियों से संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु झारखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) में विश्व बैंक कोषांग गठित किया जाएगा, जिस पर होनेवाले व्यय का वहन तत्काल विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से किया जाएगा एवं कालक्रम में इसकी प्रतिपूर्ति विश्व बैंक से प्राप्त होनेवाली राशि से कर ली जाएगी:

1. Project Director (PD)
2. Senior Municipal Engineer
3. Civil Engineer
4. Urban Planner/Urban Designer
5. Environmental Specialist
6. Social Specialist
7. Procurement Specialist
8. Contract Management Specialist
9. Institutional Development Specialist
10. Financial Management Specialist

प्रसंगाधीन कर्मियों की कार्यविवरणी, शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव के संबंध में भी विश्व बैंक के द्वारा वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराई गई है, जिन्हें दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षित सेवाएँ प्राप्त की जाएगी ।

6. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 173—50 ।